

FROM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

SDO मुकाम रेवा

नयरी नं० बनाम वि. रं. वं०

नं. 1/246/18

हुक्म या कार्यवाही मरा इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

3-2-21 **असैन अधिकारी महोदय अन्य कार्यों में
बसत है। दिनांक को 7-5-21 पेश हो।**

निर्णय **रीडर**

23-02-2021

आज यह पञ्जाबली वारीगण
के जालवा पत्र आदेश 23 निम्न,
C.P.C लालत विद्वा किसे जाने
बाद-पत्र 1 पेश किसे जाने धरा
पञ्जाबली लालत की गई। जालवा
अधिकार पञ्जाबली किसे जालवा
जालवा धरा डीट किया गया।
प्रमाण पत्र को उन्नीस किसे।
जालवा जे आदि 2 किसे जालवा है कि
वारीगण सं. 2 लालत 5 का स्वीकार
के प्रमाण है। किसे जालवा जालवा
किसे जाने व बाद पत्र की डीट
वादी सं. 01 व 06 स्वीकारा किसे
के कारण - लालत नही चाहिए।
डीट प्रतिलालत को जालवा विद्वा
करने पर किसे स्वीकार नही है।
अतः बाद डीट पञ्जाबली व अधिकार पत्र
वारीगण द्वारा प्रस्तुत जालवा स्वीकार
किसे जालवा दावा वारीगण विद्वा के
अधिकार पर स्वीकार किसे जाने है।
पञ्जाबली नम्बर 18 करके लालत 5
जालवा जालवा जालवा है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SDO **उपस्थान अधिकारी
रणी अिलवर**